MPHIN/2009/34626

यशोन्नति

दैनिक यशोन्नति की और खबरों एवं ई पेपर के लिये लॉग इन करें https:// dainikyashonnati. com एप डाउनलोड करें

वर्ष 8+16 अंक172 | प्रधान संपादक- राजेश अग्रवाल | yasonati@gmail.com | सिवनी बुधवार 20 मार्च 2024 | संपादक-मनोज मर्दन त्रिवेदी | मूल्य 1.50 पृष्ठ 4

पृष्ठ-2 संपादकीय एवं प्रदेश समाचार
पृष्ठ-3 सिवनी /बालाघाट समाचार
पृष्ठ-4 मंडला समाचार .....

चाँदा मुनारा के आधार पर नहर भूमि का सीमांकन नहीं किये जाने से संबंधितों में दहशत

सिवनी यशोः- नगर में इन दिनों नगर पालिका परिषद के आधिपत्य की नहर भूमि के सीमांकन की चल रही कार्यवाही चर्चा का मु य विषय बनी हुई है । नगर पालिका परिषद ने अपने आधिपत्य की बेशकीमती भूमि भू-माफियाओं को लुटा दी और अब जब सब कुल लुट चुका है तब नगर पालिका परिषद सीमांकन करा रही है तथा भू माफियाओं से मोटी रकम देकर जमीन खरीद कर अपने परिवार का घरौंदा बनाकर रह रहे सामान्य लोगों को परेशान किया जा रहा है । नगर पालिका के आवेदन पर हो रहा सीमाकंन भी मनमाने तरीके हो रहा है । राजस्व विभाग के जानकार बताते है कि सीमांकन का सही मापदंड चाँदा एवं मुनारा होता है परंतु सिवनी बबरिया नहर का हो रहा सीमांकन पुलिस अधीक्षक के बंगले की दीवार को मापदंड बनाकर किया जा रहा है ।

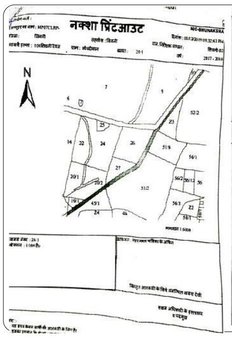

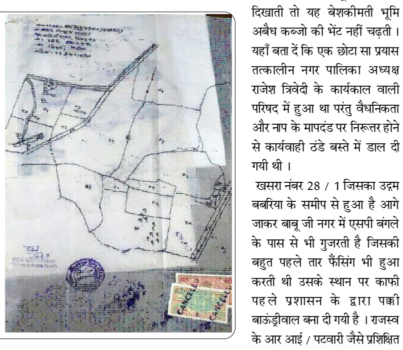

राजस्व अभिलेखों के अनुसार सिवनी नगर के ग्राम सीरदीवान के खसरा नंबर 28/1 जिसका रकबा 1.008 भू जल शासकीय जिसकी कैफियत में नहर नगर पालिका के अधीन दर्ज है । इस भूमि को कालोनाईजरों एवं इसके समीप के भूमि स्वामियों ने नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारियों से साँठगांठ कर जमीनों को मोटे दाम में बेच दिया है । बेशकीमती जमीन को सुरक्षित करने का होश नगर पालिका परिषद को अब जाकर आया और परिषद के 09 जनवरी 2024 के साधारण स मेलन में एक प्रस्ताव के माध्यम से बबरिया नहर भूमि के सीमांकन का प्रस्ताव लाया गया, इस प्रस्ताव को परिषद के सभी पार्षदों ने सर्वस मति से पारित कर दिया । प्रस्ताव के अनुसार जिला कले टर को आवेदन देकर सीमांकन कराने का आवेदन दिया गया । नगर पालिका परिषद के आवेदन पर जिला कले टर क्षितिज सिंघल ने सीमांकन के लिये सीमांकन दल का गठन किया है जिसमें दो राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी शामिल है यह सभी तहसीलदार श्रीमती मीना दशरिया सिवनी के निर्देशन में सीमांकन का कार्य करेंगे ऐसा सुनिश्चित किया गया है । शासकीय भूमि को सुरक्षित करना और उसे भविष्य के लिये संरक्षित रखना बेहद आवश्यक है परंतु जिस प्रकार की चिंता इस परिषद के द्वारा की जा रही है और परिषद के प्रस्ताव पर जिला कले टर गंभीर है वैसी चिंता पूर्व की परिषदे दिखाती तो यह बेशकीमती भूमि अबैध कब्जो की भेंट नहीं चढ़ती । यहाँ बता दें कि एक छोटा सा प्रयास तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष राजेश त्रिवेदी के कार्यकाल वाली परिषद में हुआ था परंतु वैधनिकता और नाप के मापदंड पर निरूत्तर होने से कार्यवाही ठंडे बस्ते में डाल दी गयी थी ।

खसरा नंबर 28 / 1 जिसका उद्गम बबरिया के समीप से हुआ है आगे जाकर बाबू जी नगर में एसपी बंगले के पास से भी गुजरती है जिसकी बहुत पहले तार फैंसिंग भी हुआ करती थी उसके स्थान पर काफी पहले प्रशासन के द्वारा पक्की बाऊंड्रीवाल बना दी गयी है । राजस्व के आर आई / पटवारी जैसे प्रशिक्षित दल पुलिस अधीक्षक महोदय के बंगले की पूर्व दिशा की बाऊंड्रीबाल को आधार बनाकर` यों नाप कर रहे है यह बात समझ से परे है । जबकि प्रशिक्षित दल को कानून में दिये गये प्रावधान के अनुसार निष्पक्ष रहते हुये चांदा मुनारा से नाप करना चाहिये । नाप के दौरान शासन की भूमि , निजी भूमि हो उचित नाप करके दोनों भूमियों का स मान करना अति आवश्यक है ।

ग्राम सीरदीवान में खसरा नंबर 26 रकबा 1.821 आबादी (गांवठान) शासकीय कैफियत में नजूल के आधीन कप्तान साहब का बंगला बना राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, जिसका ने शा समाचार के साथ प्रकाशित किया जा रहा है ।

यहाँ यह बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि नगर पालिका परिषद सिवनी के द्वारा भवन निर्माण की अनुज्ञा देते समय नहर भूमि एवं शासकीय भूमि का ध्यान नहीं रखा जाना नगर पालिका की नीति और नीयत पर संदेह उत्पन्न करता है और इस प्रकार गैर जि मेदाराना तरीके से कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारियों पर विधि के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करना चाहिये ।

मेरे द्वारा नगर पालिका परिषद के आग्रह के आधार पर नहर भूमि के सीमांकन के लिये जो दल बनाया गया है यदि लोगो को ऐसा लग रहा है कि वह नाप दल उचित नाप नहीं कर रहे है तो वे सभी पीडित पक्ष मुझे आवेदन कर सकते है उनके द्वारा दिये गये आवेदन पर मेरे द्वारा निष्पक्ष न्यायोचित जाँच कराई जायेगी किसी का भी अनावश्यक रूप से नुकसान नहीं होने दिया जायेगा ।

क्षितिज सिंघल जिला कलेक्टर सिवनी

नहर भूमि के अतिक्रमण मुक्त होने के पश्चात जिला व नगर प्रशासन के पास उक्त भूमि के लिये या प्रस्ताव है उसके वित्त की व्यवस्था कैसे होगी पहले इस बात को सार्वजनिक किया जाना चाहिये तथा भूमि का नाप कानून तरीके से चांदा मुनारा के आधार पर किया जाना चाहिये ।

सांसद
डॉ.ढालसिंह बिसेन
बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र

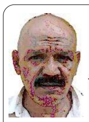

लोगो ने जानबूझकर नगर पालिका परिषद के स्वामित्व वाली नहर भूमि पर कब्जा कर लिया है जिस पर सीमांकन होने के पश्चात अबैध कब्जाधारियों पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी और लीज से संबंधित व्यवस्थाएँ बनायी जायेगी आवश्कतानुसार भूमि को नीलाम भी किया जायेगा और जो परिषद के नियमों को नहीं मानेंगे उनके अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया जायेगा ।

शफीक खान
अध्यक्ष नगरपालिका परिषद सिवनी

नजूल रिकार्ड के आधार पर भूमि नगर पालिका परिषद के अधिपत्य की होना पाया गया है जिसके सीमांकन के लिये परिषद में प्रस्ताव पारित हुआ है । नगर पालिका परिषद की भूमि को संरक्षित और सुरक्षित करने के लिये सीमांकन कराया जा रहा है जिसका सदुपयोग किया जायेगा । सीमांकन का कार्य प्रगति पर है ।

रामकुमार कुर्वेति
मुख्य नगरपालिका अधिकारी सिवनी

जिला प्रशासन एवं नगर पालिका प्रशासन से यह अपेक्षा है कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतो व दोनों पक्षो को सुनवायी का उचित अवसर देते हुये चांदा मुनारा के आधार पर नाप दल को नाप करना चाहिये और किसी भी निर्दोष व्यक्ति के निर्माण को नहीं तोड़ना चाहिये । इस संबंध में विस्तृत जानकारी ली जायेगी ।

राजकुमार खुराना
जिलाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी सिवनी

नाप का आधार कुछ जगह लोगो की रजिस्ट्री कुछ जगह चांदा मुनारा, के आधार पर किया जा रहा है एस पी बंगला के पूर्व दिशा की ओर स्थित बाऊंड्रीवाल के पास अंदर की ओर नाप के लिये चाँदा मुनारा हेतु अनुमति नहीं प्राप्त हो पायी है अनुमति मिलने के पश्चात वहाँ से नाप किया जायेगा ।

रतन सिंह उईक
राजस्व निरीक्षक सिवनी

कुछ जगह नाप का आधार सड़क चौड़ाई, कुछ जगह नहर की चौड़ाई कुछ जगह शासकीय भूमि कुछ जगह चाँदा मुनारा के आधार पर नाप किया जा रहा है ।

राजस्व निरिक्षक हि मत सनोडिया सिवनी

भाजपा के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से अनेक विषयों पर की चर्चा

सिवनी यशोः- भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आलोक दुबे सहित अनेक जिला पदाधिकारी, सांसद एवं विधायकगण लोकसभा चुनाव से संबंधित संगठनात्मक बैठक में भोपाल पहुँचे हुये है । भाजपा जिलाध्यक्ष श्री दुबे के नेतृत्व में सिवनी जिले से संबंधित विषयो पर प्रतिनिधि मंडल ने मु यमंत्री डॉ. मोहन यादव से चर्चा की और जिले में हाल ही हुई ओलावृष्टि से अवगत कराते हुये राजस्व विभाग को तत्काल सर्वे करने के निर्देश देने का आग्रह किया गया । इसके साथ ही जिले की सिंचाई परियोजनाओं सहित किसान हितों से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की गयी । मु यमंत्री से मिलने पहुँचे प्रतिनिधि मंडल ने किसानों को धान एवं गेहूँ का घोषित समर्थन मूल्य देने संबंधी चर्चा भी की जिस मु यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इस संबंध में वे स्वयं किसानों से चर्चा करने आ रहे है और भाजपा की सरकार में किसानों का कोई नुकसान नहीं होने देंगे । पहुँचे प्रतिनिधि मंडल से मु यमंत्री डां. यादव ने जनकल्याण की योजनाओं के बेहतर क्रियांवयन पर चर्चा की और बताया कि जनहित को ध्यान में रखते हुये मध्यप्रदेश सरकार ने अनेक योजनाएँ और प्रारंभ की है सभी योजनाओं का पात्र हितग्राहियों को लाभ मिलना सुनिश्चित होना चाहिये ।

मु यमंत्री से मिलने पहुँचे प्रतिनिधि मंडल में सांसद डॉ.ढालसिंह बिसेन, लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी डां. भारती पारधी, सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन, बरघाट विधायक कमल मर्सकोले, भाजपा जिला महामंत्री अजय डागोरिया सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे ।

रामनवमी उस्तव की तैयारी को लेकर बैठक स पन्न

सिवनी यशोः -जिला मु यालय में हर वर्ष भगवान राम के अवतरण दिवस रामनवमी पर्व के अवसर पर तीन दिवसीय आयोजन होते है। इस बार के आयोजन को भव्य बनाने के लिये राम जन्म उस्तव समिति के द्वारा एक बैठक विगत सोमवार को श्री राम मंदिर परिसर गांधी चौक में रात 8 बजे हुई।

इस बैठक में उपस्थित जागरूक नागरिको,सामाजिक व धार्मिक संगठनो व युवाओं ने राम जन्म उत्सव को भव्य बनाने के लिये अपने अपने विचार व सुझाव दिए। बैठक में निर्णय लिया कि आगामी 22 मार्च को एक बड़ी बैठक पुन: श्री राम मंदिर में रात 9 बजे आयोजित होंगी, इस बैठक में राम दरबार की स्थापना सहित विशाल शोभा यात्रा के स बध में अंतिम निर्णय लिए जाएंगे।

चुनावी प्रचार-प्रसार के लिए अनुमति देने के लिए अधिकारी अधिकृत

सिवनी यशोः- कले टर एवं जिला दण्डाधिकारी क्षितिज सिंघल ने लोकसभा निर्वाचन 2024 के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलो, अ यर्थियों आदि को चुनाव प्रचार-प्रसार के लिए वाहनों, आमसभा, जुलूस, हैलीपेड व अन्य कार्यो की अनुमति प्रदान करने के लिए अपर जिला दण्डाधिकारी सिवनी को जिले के एक से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में अनुमति के लिए अधिकृत किया है। उक्तानुसार अनुमति अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिवनी की अनुशंसा के आधार पर दी जायेगी। इसी तरह अनुविभागीय दण्डाधिकारी बरघाट, सिवनी, केवलारी एवं लखनादौन को उनके विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत अनुमति के लिए अधिकृत किया गया है। उक्तानुसार अनुमति संबंधित अनुविभागीय अधिकारी पुलिस/ सीएसपी की अनुशंसा के आधार पर दी जायेगी।

लोकसभा प्रत्याशी श्रीमती पारधी का आज जिले में सघन जनसंपर्क अभियान

सिवनी यशोः- भारतीय जनता पार्टी से बालाघाट सिवनी लोक सभा की प्रत्याशी श्रीमती भारती पारधी का सिवनी जिले में बुधवार 20 मार्च को भाजपा जिलाध्यक्ष आलोक दुबे के साथ सघन जनसंपर्क अभियान करेंगी । जारी उनके प्रवास कार्यक्रम के अनुसार प्रातः 10:30 बजे से उनका जनसंपर्क अभियान शिव सनोडिया किसान मोर्चा के जिला महामंत्री के निवास से प्रारंभ होगा ।

भाजपा जिला सह मीडिया प्रभारी मनोज मर्दन त्रिवेदी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार श्रीमती पारधी सुबह 10:30 बजे शिव सनोडिया के निवास पर डां. पारधी कुर्मी क्षत्रिय समाज के प्रतिनिधियों से भेंट करेंगी । इसके पश्चात प्रतिष्ठित व्यापारी दुर्गा अग्रवाल जी के निवास पर व्यापारी एवं राईस मिल एसोसिएसन के प्रतिनिधियो से भेंट करेगी । श्रीमती पारधी इसके पश्चात सिवनी नगर के भैरोगंज क्षेत्र मे भाजपा कार्यकर्त्ता करतार सिंह जी बघेल के निवास पर बघेल समाज के प्रतिनिधियो से भेंट करेंगी। यहाँ से दोपहर 12:30 बजे शिशु मंदिर परिवार से सौजन्य भेंट के पश्चात आप ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधियों से परशुराम भवन डूंडासिवनी में भेंट करेंगी । ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधियों से भेंट के पश्चात जिला भाजपा कार्यालय में दोपहर 2:30 बजे भाजपा के सिवनी एवं बरघाट के कार्यकर्त्ताओं एवं पदाधिकारियों से भेंट करेंगी । भाजपा कार्यालय के पश्चात पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राजेश त्रिवेदी के निवास पहुँचकर परिवार जनों से भेंट करेंगी तथा भाजपा जिला अध्यक्ष आलोक दुबे के निवास उपस्थित होकर अनुसूचित मोर्चा के कार्यकर्त्ताओं एवं अनुसूचित जाति के प्रतिनिधियों और कश्यप समाज के प्रतिनिधियों से चर्चा करेंगी ।

यहाँ से श्रीमती पारधी शाम 5:00 बजे गोपालगंज के समीप कटंगी में बलाराम चंद्रवंशी जी के निवास पर चंद्रवंशी समाज के प्रतिनिधियों से भेंट करेंगी । कटंगी से गोपालगंज पहुँचकर भाजपा कार्यकर्त्ताओं एवं आम नागरिकों से भेंट करेंगी । इसके पश्चात लोकसभा प्रत्याशी डां. पारधी सारसडोल, सिल्लौर, चक्कीखमरिया, ग्वारी, बादलपार पहुँचकर कार्यकर्ताओं एवं आमजनों से भेंट करेंगी ।।

भाजपा जिलाध्यक्ष श्री दुबे ने समस्त संबंधित क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्त्ताओं एवं पदाधिकारियों से आग्रह किया है कि लोकसभा प्रत्याशी के जनसंपर्क कार्यक्रम में अधिक से अधिक सं या में उपस्थिती दर्ज करायें ।

31 जुलाई तक की अवधि के लिये जिला जल अभावग्रस्त घोषित

बिना अनुमति सार्वजनिक स्त्रोतों से सिंचाई एवं औद्योगिक प्रयोजन से नहीं लिया जा सकेगा पानी, बिना अनुमति नहीं होंगे नलकूप खनन

सिवनी यशोः- आगामी ग्रीष्म ऋतु में नागरिको के लिये पीने के पानी एवं निस्तार की आवश्यकता की पूर्ति को लेकर कले टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री क्षितिज सिंघल ने म.प्र. शासन राजस्व विभाग (राहत) भोपाल द्वारा सूखा, पेयजल संकट एवं अन्य समस्याओं से निपटने के लिये 03 नव बर 2007 में जारी निर्देशों की कंडिका 43 पर उल्लेखित म.प्र. पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 यथा संशोधित 2002 के अंतर्गत संपूर्ण सिवनी जिले को 31 जुलाई 2024 तक के लिये जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया हैं।

जारी आदेशानुसार घोषित जल अभावग्रस्त अवधि में सक्षम अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति, किसी भी सार्वजनिक स्त्रोत यथा-नदी, नालों, बंधान, स्टॉपडेम, जलधारा, जलाशय, सार्वजनिक कुंओं, झिरिया तथा पेयजल के अन्य स्त्रोतो से सिंचाई या औद्योगिक प्रयोजन हेतु जल का उपयोग नही कर सकेगा। इसी तरह कले टर या कले टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की अनुज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति, संगठन, प्राधिकरण नलकूप खनन नहीं करेगा।

इस दौरान जिले में नदी, नालों, बंधानों, नहरों, जलाशय एवं बांधों से पेयजल तथा निस्तार प्रयोजन के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन के लिये पानी का उपयोग करने पर जल संसाधन विभाग अथवा संबधित विभाग की जि मेदारी होगी कि वे क्षेत्र में स्थापित मोटर पंप की सूची म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण क पनी को उपलब्ध करावें एवं ऐसे मोटर पंप के विद्युत विच्छेद संबधित कार्यपालन अभियंता, म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण क पनी की द्वारा किया जायेगा। यदि किसी व्यक्ति, संगठन, प्राधिकरण प्रतिबंधित अवधि में सिचाई अथवा औद्योगिक प्रयोजन के लिये पानी के उपयोग की अनुमति चाहते है तो वे अधिनियम की धारा 4 एवं संबधित नियमों के तहत आवेदन प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत कर सकते हैं। इसी प्रकार नवीन नलकूप, नलकूप गहरीकरण, नलकूप की साफ-सफाई के लिये अधिनियम की धारा -6 एवं संबधित नियमों के तहत आवेदन प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करेगे। इसके साथ-साथ नलजल प्रदाय योजनाओं से पेयजल प्रदाय किये जाने में भी जिन नल कने शन वाले घरों में मोटर पंप स्थापित कर प्रेसर से पानी खींचा जाता है जिससे अन्य घरों में पानी नहीं पहुच पाता है। ऐसे स्थानों में संबंधित ग्राम पंचायत एवं नगरपालिका द्वारा भी मोटर जप्ती की कार्यवाही की जायेगी। जारी आदेशानुसार नलकूप खनन, नलकूपों की साफ-सफाई आदि की अनुमति देने के लिए संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को अधिकृत किया गया है। उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर 02 साल का कारावास अथवा 2 हजार रूपये तक का जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जाएगा।

जबरन नॉलेज

19 अवैध कालोनाइजरों के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के आदेश जारी

सिवनी यशोः- अनुविभागीय अधिकारी राजस्व केवलारी द्वारा अनाधिकृत रूप से अवैध कलोनियों के निर्माण में लिप्त कुल 19 अनावेदकों के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के आदेश जारी किए गये हैं। कले टर क्षितिज सिंघल के निर्देशानुसार केवलारी अनुभाग क्षेत्र में चिन्हांकित किए गए 19 अवैध कालोनियां जिनमें बिना कालोनाईजिंग लायसेंस, बिना विकास अनुमति, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा बिना स्वीकृत ने शे एवं बिना डायवर्जन के प्लाट बेचे जा रहे थे। ऐसे सभी विक्रेताओं के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के आदेश जारी किए गए हैं। आदेशानुसार अनावेदक नीलमसिंह पिता बचन किरार, गोविंद पिता बालचंद, प्रकाश पिता बालचंद, विनोद पिता बालचंद, शरद पिता विकास, रघुराजसिंह पिता मंगलसिंह, घनश्याम पिता मोहनलाल किरार, गुलाब पिता बखतसिंह, मुकेश पिता मंगल, शुभम पिता इंद्रपाल, प्रसांत पिता बद्रीप्रसाद, राहुल पिता संतोष अवधिया, रमेश पिता रामचरण, अजय पिता लक्ष्मी चंद अग्रवाल, संजय पिता लक्ष्मीचंद अग्रवाल, प्रकाश पिता चूरामन, झामसिंह पिता हुकुमचंद, रामरतन पिता गया प्रसाद, जगदीशप्रसाद पिता कमल, अंकुश पिता सुरेश, मयंक पिता महेश इसी तरह नीलिमा पति सुकांत तथा हिरा पति भगतसिंह, तुलसीराम पिता सीतारामा, सुरेश, संतोष एवं रज्जू पिता राम नारायण किरार के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने के आदेश जारी किए गए हैं।

सीएए लागू : देश में भ्रम फैलाकर तनाव पैदा करने का षड्यंत्र भी.

इस विधेयक के लागू होने से एक ओर पीड़ित शरणार्थियों में प्रसन्नता है तो दूसरी ओर कुछ शक्तियाँ भ्रम फैलाकर अशांति पैदा करने के षड्यंत्र में जुट गई है।

रमेश शर्मा.

भारत में नागरिक संशोधन अधिनियम लागू हो गया। यह केवल उन पर लागू होगा जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर प्रताड़ना से परेशान होकर भारत में शरण लेना चाहते हैं। इस विधेयक के लागू होने से एक ओर पीड़ित शरणार्थियों में प्रसन्नता है तो दूसरी ओर कुछ शक्तियाँ भ्रम फैलाकर अशांति पैदा करने के षड्यंत्र में जुट गई है।

सीएए अर्थात नागरिकता संशोधन अधिनियम सोमवार से भारत में लागू हो गया है। यह अधिनियम 10 दिस बर 2019 को लोकसभा में, अगले दिन 11 दिस बर को राज्यसभा में पारित हुआ और 12 दिस बर को राष्ट्रपतिजी की स्वीकृति मिल गईथी। 20 दिस बर 2019 को पाकिस्तान से आये 7 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देकर इस अधिनियम को लागू होने की औपचारिकता भी पूरी हो गई थी लेकिन बीच में विरोध के चलते इसका क्रियान्वयन शिथिल कर दिया गया था जो अब पुनः लागू किया है और इसके लागू होने के साथ पुनः विरोध आरंभ हो गया है।

विरोध की मानसिकता के

तीन प्रकार

इस कानून के लागू होने के साथ पुनः विरोध आरंभ हो गया है। विरोध के स्वर असम, हैदराबाद उत्तर प्रदेश और दिल्ली से उभरे हैं। असम में असम स्टूडेंट्स यूनियन ने बंद का आह्वान किया है तो हैदराबाद सै एआईएएमयू नेता ओबेसुद्दीन औबेसी ने इसे पक्षपातपूर्ण बताकर देश व्यापी आँदोलन की चेतावनी दी है। अभी तो संगठन और चेहरे इस कानून का विरोध करने के लिये सामने आये हैं वे तीन प्रकार के हैं। पहले वे हैं जो प्रधानमंत्री श्रीनरेंद्र मोदी के हर निर्णय का विरोध करते हैं, या प्रश्न उठाते हैं। नोटबंदी, सर्जिकल स्ट्राइक, चन्द्र अभियान, रक्षा सौदे, जीएसटी लागू करने पर, कश्मीर में धारा 370 हटाने पर और यदि मोदीजी अयोध्या में रामलला विराजमान प्राण प्रतिष्ठा समारोह में उपस्थित हुये तो उस पर भी प्रश्न उठाये गये। मोदीजी के निर्णय ही नहीं उनके नारों पर भी प्रश्न उठाये जाते हैं, उन्होंने स्वयं को चौकीदार कहने या देश को परिवार बताने पर भी कटाक्ष हुये। इसलिये मोदी विरोधी पूरा समूह इस विधेयक के विरोध में पुनः मैदान में आ डटा है।

CAA Implemented: Know What it Means

इस कानून का विरोध करने वाली दूसरी आँदोलन जीवियों की वह टोली है जो कोई न कोई आँदोलन में सदैव देखी जाती है। इन आँदोलन जीवियों के कुछ चेहरे भारत के टुकड़े होने के नारे लगाने वाले समूह में भी, शाहीनबाग में भी और किसान आँदोलन में भी समान रूप से देखे गये। वे इस कानून के विरोध में भी सक्रिय हैं और तीसरा समूह वह है जो भारत के मुसलमानों को राष्ट्र की मूलधारा में जोड़ने की बजाय उन्हें भावनात्मक रूप से आवेशित करके अलग रखने का प्रयास करता है और अपनी राजनीति करता है। ये तीनों समूह अे सर एकत्र देखे जाते हैं। इस कानून को लेकर यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि यह कानून स्थानीय मुसलमानों की नागरिकता पर प्रश्न उठाता है। जबकि इस कानून का यहाँ रहने वाले मुसलमानों की नागरिकता से कोई संबंध नहीं है, न ही किसी से पूछा जायेगा, न कोई प्रमाण माँगा जायेगा और न सामान्य प्रक्रिया से भारत की नागरिकता के लिये आवेदन करने वाले किसी मुसलमान को बाधा बनेगा। अन्य देशों के किसी नागरिक के भारत में नागरिकता लेने की एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत पाकिस्तान से भी कितने ही मुस्लिम समाज के लोग भारत आये और यहाँ के नागरिक बने। इनमें सामान्य जन के अतिरिक्त लेखक और फिल्म कलाकार भी शामिल हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के मुस्लिम नागरिकों को भारत की नागरिकता लेने की प्रक्रिया पहले भी थी और आगे भी रहेगी। यह कानून उस प्रक्रिया में बाधक नहीं है। यह कानून तो केवल पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आने वाले शरणार्थियों को राहत देने तक सीमित है।

नागरिकता संशोधन अधिनियम का कारण

इस अधिनियम को लागू करने का आश्वासन वर्ष 2019 में भाजपा के संकल्प पत्र में था। जिस संकल्प पत्र के आधार पर भाजपा को सरकार बनाने लायक बहुमत मिला, इस अधिनियम को उस वचन की पूर्ति का कदम माना जाना चाहिए। यह अधिनियम बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आने वाले हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के अनुयायी शरणार्थियों पर लागू होगा। इन तीनों देशों में धार्मिक आधार पर हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायों की कितनी प्रताड़ना होती है इसके समाचार आये दिन मीडिया में देखने को मिल जाते हैं। इस प्रताड़ना की पुष्टि तीनों देशों इन समुदायों की घटती आबादी के आँकड़ों से भी की जा सकती है। धार्मिक आधार पर प्रताड़ित किये जाने से ही तो तीनों देशों में इन मतावलंवियों की आबादी निरंतर घट रही है। हिन्दू सि ख, पारसी ईसाई और बौद्ध सा प्रदाय के लोग या तो मतान्तरण करने पर विवश हो रहे हैं अथवा भारत की शरण में आ रहे हैं। ऐसे हजारों परिवार भारत में रह रहे हैं अब इन सभी को इस अधिनियम के माध्यम से नागरिकता का अधिकार मिल सकेगा, नागरिकता लेकर भारत में सस मान निवास कर सकेंगे।

इन पीड़ित और प्रताड़ित समूहों की बात समय समय पर संसद में उठती रही है। नेहरूजी के प्रधानमंत्रित्व काल में उठी थी और इंदिराजी के समय भी, अटलजी के समय भी यह मुद्दा सामने आया था। हर सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक विचार करके मार्ग बनाने का आश्वासन दिया था, यह सब संसद के रिकार्ड है फिर भी मार्ग न निकल सका था। अब प्रधानमंत्री श्रीनरेंद्र मोदी की संकल्प शक्ति से यह संभव हो सका।

अधिनियम के प्रावधान

यह नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन है।अब पात्र आवेदक को पिछले एक वर्ष अथवा पिछले 14 वर्षों के अंतिम वर्ष 11 महीने भारत में रहने पर पात्र माना गया है। अधिनियम में इन छह धर्मों से संबंधित व्यक्तियों के लिए 11 वर्ष की जगह छह वर्ष तक का समय है। इस अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि यदि किसी नियम का उल्लंघन किया जाता है तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड धारकों का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।नागरिकता अधिनियम, 1955 में कोई व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता-पिता भारतीय हों या कुछ समय से देश में रह रहे हों, को नागरिकता का प्रावधान था, अवैध प्रवासियों को नागरिकता से प्रतिबंधित किया गया है। उन अवैध प्रवासियों को विदेशी माना गया था जोः (द्व) पासपोर्ट और वीजा जैसे वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना देश में प्रवेश करता है, या (द्वद्व) वैध दस्तावेजों के साथ प्रवेश करता है, लेकिन अनुमत समय अवधि से अधिक समय तक रहता है। इन्हें कैद करने या भारत से निर्वासित करने का प्रावधान है। 2015 और 2016 में, केंद्र सरकार ने अवैध प्रवासियों के कुछ समूहों को 1946 और 1920 अधिनियमों के प्रावधानों से छूट देते हुए दो अधिसूचनाएं जारी की थीं। ये समूह अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई हैं, जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आए थे। चूँकि ये वहाँ से प्रताड़ित होकर आये थे। इनका जाना संभव न था इसलिये अब मानवीय आधार पर इन्हे नागरिकता देने का निर्णय सरकार ने किया है।

अपात्र नर्सिंग कॉलेज के छात्र हो सकेंगे परीक्षा में शामिल, हाईकोर्ट ने राहत देते हुए दिया अंतिम अवसर

भोपाल। सीबीआई की जांच में अपात्र पाए गए नर्सिंग कॉलेज के छात्रों को परीक्षा में शामिल करने की अनुमति मिल गई है। हाईकोर्ट जस्टिस संजय द्विवेदी तथा जस्टिस एके पालीवाल की युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है छात्र स्नातक नहीं हैं। सरकारी कर्मचारियों की गलतियों का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। छात्रों को एक अवसर प्रदान करते हुए परीक्षा में शामिल करने के आदेश जारी किए हैं। युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि छात्र परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करते हैं तो उन्हें कोई अतिरिक्त लाभ नहीं दिया जाए। परीक्षा उत्तीर्ण करने पर वे आगे के लिए प्रात्र माने जाएंगे।

गौरतलब है कि लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन की तरफ से प्रदेश में संचालित फर्जी नर्सिंग कॉलेजों के संचालन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका की सुनवाई के दौरान प्रदेश के सभी नर्सिंग कॉलेजों की जांच करने के आदेश सीबीआई को दिए थे। सीबीआई की तरफ से 308 कॉलेज की जांच रिपोर्ट बंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश की गई थी। सीबीआई ने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने 56 कॉलेजों की जांच पर स्थगन आदेश जारी किए हैं। सीबीआई रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में संचालित 169 नर्सिंग कॉलेज पात्र पाए गए हैं। जबकि 74 नर्सिंग कॉलेज ऐसे पाए गए जो मानकों को तो पूरा नहीं करते हैं, किंतु उनमें ऐसी अनियमितताएं हैं जिन्हें सुधारा जा सकता है तथा 65 कॉलेज आयोग्य पाए गए है। युगलपीठ ने अपने आदेश में अपात्र पाए गए कॉलेजों को किसी भी प्रकार की राहत देने से इंकार कर दिया था। इन कॉलेजों के छात्रों को किसी अन्य कॉलेजों में समायोजित नहीं करने की बात भी कही थी।

युगलपीठ ने अपने आदेश में मानक पूरा नहीं करने वाले कॉलेजों की खामियां दूर करने हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस आर के श्रीवास्तव की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी गठित की थी। हाईकोर्ट ने आदेश जारी किए थे कि कमेटी सीबीआई की रिपोर्ट के आधार पर मानक पूरा नहीं करने वाले कॉलेजों को खामियां दूर करने समय प्रदान करेगी। निर्धारित समय अवधि के बाद कॉलेजों की रिपोर्ट व राज्य सरकार को सौंपी जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर खामियां दूर नहीं करने वाले कॉलेजों पर राज्य सरकार कार्रवाई करेगी। युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि कमेटी मान्यता प्रणाली और संबंधित नियम को मजबूत करने तथा संस्थानों में सुधार के संबंध में अपने सुझाव दे सकते है। कॉलेजों को मान्यता देने के लिए निरीक्षण करने वाले दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा के निर्देश भी कमेटी को दिए गए थे। अयोग्य घोषित किए गए कॉलेज के छात्रों की तरफ से इंटर विनर बनने का आवेदन दायर करते परीक्षा में शामिल करने की राहत प्रदान करने का आग्रह किया था। युगलपीठ ने आवेदन का निराकरण करते हुए पूर्व में पारित आदेश में संशोधन करते हुए छात्रों को राहत प्रदान की है।

पटाखा फै ट्री में ब्लास्ट के बाद स त प्रशासन, दमोह में कैंसिल किए गए 34 लाइसेंस

भोपाल। मध्य प्रदेश के दमोह और हरदा जिले में हुए पटाखा फै ट्री में ब्लास्ट के बाद से प्रशासन ऐ शन मोड में है. इसी के तहत दमोह जिले में कले टर ने पटाखे के 34 लाइसेंस को कैंसिल किया है.

मध्य प्रदेश के दमोह और हरदा जिले की पटाखा फै ट्री में हुए ब्लास्ट के बाद से सीएम ने प्रदेश के सभी पटाखा फै ट्रयों के जांच के निर्देश दिए थे. जिसके तहत प्रदेश भर में लगातार पटाखा फै ट्रयों पर स ती बरती जा रही है. इस कड़ी में दमोह जिले में पटाखे के 34 लाइसेंस कैंसिल किए गए हैं. जिले के कले टर के निर्देश पर हुई ये कार्रवाई प्रदेश की सबसे बड़ी कार्रवाई में से एक मानी जा रही है.

कले टर ने की कार्रवाई

प्रदेश के दमोह में अब तक कि सबसे बड़ी कार्रवाई कले टर ने की है. इसके तहत एक 34 पटाखा लाइसेंस निरस्त किये गए हैं. बता दें कि लगभग पांच महीने पहले दमोह के बड़ा पुल इलाके में चल रही एक अवैध पटाखा फै ट्री में भीषण विस्फ़ोट हुआ था जिसमें अब तक सात लोगों की जान चली गई थी. जबकि 6 लोग हादसे में घायल हुए थे. विस्फ़ोट के बाद प्रशासन ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की और दमोह की पटाखा फै ट्रयों की लाइसेंस की जांच पड़ताल की गई थी.

जांच के बाद ही कले टर ने 34 लाइसेंस सस्पेंड किए थे. निलंबन की कार्रवाई के बाद जब जिला प्रशासन ने जांच कराई गई तो तमाम जगहों पर खामियां पाई गई और ये बात सामने आई कि जिन जगहों पर पटाखों के बारूद का भंडारण किया गया है वहां सुरक्षा संबंधी संसाधनों का अभाव है और इनसे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है. जांच रिपोर्ट आने के बाद दमोह कले टर सुधीर कोचर ने ये 34 लाइसेंस को निरस्त कर दिया है. ये कार्रवाई प्रदेश की सबसे बड़ी कार्रवाई में से एक मानी जा रही है.

सभी सरकारी रेस्ट हाउस कले टर द्वारा अधिग्रहित, नेताओं के लिए प्रतिबंधित

भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लोक प्रतिनिधत्व अधिनियम, 1951 की धारा 160 (क) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार विश्राम भवन अधिग्रहित किये गए है। यह जानकारी क्रमांक/379/096 संभागीय जनसंपर्क कार्यालय भोपाल की ओर से दी गई। मध्य प्रदेश के सभी सरकारी रेस्ट हाउस पर आचार संहिता लागू

जारी आदेश अनुसार विश्राम गृहों का उपयोग राजनैतिक गतिविधियों के लिए नहीं किया जाएगा। विश्राम गृह परिसर में निर्वाचन की आदर्श आचरण संहिता का पालन करना आवश्यक होगा। जिला दण्डाधिकारी की अनुमति के बिना विश्राम गृह किसी अन्य को आवंटित नहीं किया जाएगा। विश्राम गृह की विद्युत, पेयजल, सफाई आवश्यक फर्नीचर / काकरी और खानसामा एवं स्टाफ संबंधी अन्य व्यवस्थाएं नियंत्रक अधिकारी द्वारा परिसर में सुनिश्चित की जाएगी। जिला दण्डाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी भोपाल द्वारा प्रदत्त एवं समय-समय पर जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा।

नौ बार के विधायक गोपाल भार्गव ने निर्वाचन आयोग को लिखा पत्र

भोपाल। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ विधायक और भाजपा के पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। ये पत्र चर्चा में है। उन्होंने इसमें आयोग से राहत की उ मीद की है।

बता दें कि लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होते ही राज्य सरकार और जनप्रतिनिधियों के कोष से मिलने वाली सहायता राशि लोगों को मिलना बंद हो गई है। पूर्व मंत्री और रहली विधायक गोपाल भार्गव ने मु यमंत्री स्वेच्छानुदान और उसकी मंजूरी को लेकर भारत निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने मु यमंत्री स्वेच्छानुदान स्वीकृति को मानवीय आधार पर प्रतिबंध से मुक्त करने या वास्तविक स्थिति को स्पष्ट करने की बात लिखी है।

बता दें कि गोपाल भार्गव ने लिखा है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र रहली जिला सागर समेत संपूर्ण मध्यप्रदेश में आम चुनाव-2024 की आदर्श आचार संहिता लागू हो जाने के कारण मु यमंत्री स्वेच्छानुदान स्वीकृति की प्रकिया पिछले तीन दिनों से बंद है। इस कारण बहुत से जरूरतमंद लोग इलाज के लिए आर्थिक मदद के लिए भटक रहे हैं। इस संबंध में मेरा आपसे अनुरोध है कि चूंकि बीमारियां चुनाव और आचार संहिता देखकर नहीं आती हैं। इसलिए यदि मु यमंत्री स्वेच्छानुदान की स्वीकृति को आदर्श आचार संहिता में प्रतिबंधित किया गया है तो मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए इसे प्रतिबंध से मुक्त करने का कष्ट करें और यदि प्रतिबंधित नहीं किया गया है तो मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस संबंध में तत्काल स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने का कष्ट करें। इस संबंध में मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि मु यमंत्री स्वेच्छानुदान मद से सिर्फ राशि स्वीकृत की जाती है। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए ही सहायता राशि स्वीकृत की जाती

15 कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के 370 पद खाली, अतिथि विद्वान भी नहीं बुला रहे

भोपाल। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से संबंधित 15 सरकारी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के 370 पद खाली है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर की गड़बड़ पॉलिसी के कारण असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा संपन्न नहीं हो पाई है। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नवीन पदों पर अतिथि शिक्षकों को नियुक्त करने से मना कर दिया है,` योंकि वह नियमितीकरण मांग रहे हैं।

कॉलेज में स्टूडेंट्स की सं या बढ़ रही है प्रोफेसर की सं या घट रही है

मध्य प्रदेश में पिछली बार 2018 में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति हुई थी। इसके बाद कोई नई नियुक्ति नहीं हुई है। अतिथि विद्वान लगातार नियति कारण की मांग कर रहे हैं इसलिए नवीन पदों पर अतिथि विद्वानों की नियुक्ति भी नहीं की जा रही है। जबकि सरकारी कॉलेज में सीटों की सं या लगातार बढ़ाई जा रही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कारण कोर्स की सं या भी बढ़ गई है। पिछले तीन साल में 35 वोकेशनल विषय अलग से नए जुड़े हैं। हालत यह हो गई है कि सरकारी कॉलेज में बीबीए, बीकॉम, एलएलबी, बीए एलएलबी, बीए, एमए, एमकॉम जैसे कोर्स की पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है। रिजल्ट बिगड़ रहे हैं। सरकारी कॉलेज के रिजल्ट का औसत 50त्न आ गया है।

बीरबल की परीक्षा कब पूरी होगी, भगवान ही जाने

एमपी पीएससी ने 2022 में दिसंबर के अंतिम सप्ताह में सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा का एड जारी किया था। 1669 पदों के लिए यह विज्ञापन जारी हुआ था। 27 अगस्त को सेट यानी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट भी हो गया। उसके रिजल्ट भी दिसंबर तक आ गए, लेकिन सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा दो बार स्थगित हो गई। पहले यह 28 जनवरी और फिर 3 मार्च की तारीख तय की गई, लेकिन वह भी स्थगित हो गई। अब कब होगी, तय नहीं है। जानकारी अनुसार यह लोकसभा चुनाव बाद ही संभव है। वहीं पीएम कॉलेज ऑफ ऐ सीलेंस के लिए इंदौर के 39 सहित प्रदेश के 2200 पद स्वीकृत किए हैं, उनकी नियुक्ति प्रक्रिया कब पूरी करेंगे, तय नहीं।

11 माह का शेड्यूल, सबसे अजब निर्णय

सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा में देरी से कई अ यर्थी नाराज हैं। उनका कहना है कि महज 35 विषयों की परीक्षा के लिए 11 माह का शेड्यूल देना ही एमपी पीएससी का सबसे अजब निर्णय था, ` योंकि जब औसत ढाई लाख अ यर्थियों की राज्य सेवा प्री परीक्षा एक दिन में करवाई जा सकती है तो यह एग्जाम तीन चरणों में भी एक माह में` यों नहीं हो सकती थी। परीक्षा टाली गई तो इसके तुरंत बाद उसके कारण का समाधान` यों नहीं किया गया। एक अ यर्थी का कहना है कि मेरे विषय की एग्जाम 17 नवंबर को प्रस्तावित थी। अब नए शेड्यूल में यह संभव हो पाएगा या नहीं? कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है।

नौरादेही अ यारण से सूर्यास्त के बाद निकलने वाले भारी वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा, एक अप्रैल से लागू होगा नियम

भोपाल। एक अप्रैल से सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक अर्थात रात्रि में भारी वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। नियम में बताया गया है कि आप एक संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। मार्ग पर अचानक वन्यप्राणी आ सकते है। वाहन की अधिकतम स्पीड 20 किमी प्रति घंटा रहेगी, वाहन का हार्न न बजाएं। किसी प्रकार का कचरा प्लास्टिक, बोतल आदि संरक्षित क्षेत्र में न फेंके।

इसके साथ ही शस्त्र विस्फोटक सहित प्रवेश वर्जित है, किसी प्रकार की ज्वलनशील वस्तु वन क्षेत्र में न फेंके। नियमों का उल्लघंन करने पर वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। वन्य प्राणी संरक्षण में अपना सहयोग दे। मुहली रेंजर नीरज विसेन ने बताया कि टाइगर रिजर्व में लगातार टाइगर वा अन्य वन्य प्राणियों की सं या बढ़ती जा रही है और अब सड़क पर भी यह दिखाई देने लगे हैं। उनकी सुरक्षा और लोगों की सुविधा के लिये जागरूक किया जा रहा है। रात के समय केवल इमरजेंसी वाहनों को ही प्रवेश दिया जायेगा।

सड़क पर बाघ दिखने के बाद हुआ आदेश

वीरांगना टाइगर रिजर्व में बाघों के अलग-अलग ठिकाने बनाने के बाद अब बाघ भी अपने एरिया में शिकार की खोज में घूमते रहते है। झापन और मुहली के बीच एक माह में कई बार बाघ मु य मार्ग पार करते हुये नजर आया है। मीडिया ने भी मामले का प्रकाशन किया कि यदि रात्रि के समय कोई बाइक सवार यदि बाघ के सामने आ गया तो उसको नुकसान हो सकता है। यह जबलपुर-सागर मार्ग रात्रि के समय ज्यादा चलता है। मामला मीडिया में आने के बाद वीरांगना रानीदुर्गावती टाइगर रिजर्व अधिकारी ने रात्रि में रिजर्व मार्ग से आवागमन पर अंकुश लगाने हेतु आदेश जारी किया है। उसके पंपलेट भी बनवाए गए हैं जिसका प्रचार,प्रसार एवं वितरण कराया जा रहा है।

राहगीरों को दे रहे जानकारी

आदेश का यह नियम एक अप्रैल से लागू होगा, जिसका प्रचार-प्रसार जोरों से टाइगर रिजर्व के अधिकारी,कर्मचारी कर रहे हैं। अभी वाहनों का आवागमन चालू है, जो वाहन टाइगर रिजर्व सीमा से गुजर रहे हैं, उनके चालकों को वनकमी पंपलेट और जानकारी देकर अवगत करा रहे है। जिससे वह एक अप्रैल से लागू होने वाले नियमों की जानकारी रख सकें। पंपलेट में यह भी लिखा है दिन में गुजरने वाले वाहन चालक सड़कों पर कोई सामग्री न डाले,` योंकि सामग्री देख बंदर उनको खाने आने लगते है। जिस कारण दूसरे वाहन उनको टक्कर मार देते है। ऐसे में कई बेजुबान जानवरों की मौत हो चुकी है, जिस पर अब अंकुश लगाने की प्रकिया टाइगर रिजर्व के अधिकारियों द्वारा शुरू की गई है।

बिजली-खंभे के पास या बिजली लाइनों के नीचे होलिका दहन न करें

भोपाल। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने सभी बिजली उपभोक्ताओं तथा आम नागरिकों से सुरक्षित होलिका दहन के लिये अपील की है। कंपनी ने कहा है कि बिजली के खंभे, ट्रांसफार्मर या फिर बिजली की ऐसी लाइनें जिसमें विद्युत प्रवाहित होती है, उनके नीचे होलिका दहन न करें। लाइनों के नीचे होलिका दहन से दुर्घटना की संभावना सदैव बनी रहती है।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने सभी ग्रामीण एवं शहरी उपभोक्ताओं से अपील की है कि होलिका का आयोजन और होलिका दहन बिजली लाइनों से कुछ हटकर अन्य स्थान पर ही करें। आग की लपटों से एल्यूमिनियम तारों एवं बिजली केबल के गलने, जलने और टूटने की संभावना सदैव रहती है। इनके टूटने या गिरने से कोई भी बड़ी अप्रत्याशित घटना घट सकती है। कंपनी ने सभी बिजली उपभोक्ताओं एवं नागरिक बंधुओं से अपील है कि होलिका दहन बिजली की चालू लाइनों, उपकरणों से दूर करें और प्रसन्नता से त्यौहार मनाये।

मां कर्मा जयंती के अवसर पर सामूहिक आदर्श विवाह एवं परिचय स मेलन

छपारा यशोः- साहू समाज की आराध्य देवी भगवान श्री कृष्ण की भक्त शिरोमणि कर्मा देवी जी की जयंती के उपलक्ष्य में सिवनी जिला के तेली साहू बाहुल्य क्षेत्र के हर ग्राम/नगर/ब्लाक में विविध कार्यक्रम होंगे इसी कार्यक्रम में छपारा में 5 अप्रैल को विशाल शोभायात्रा तथा जिला मु यालय सिवनी में जिला साहू समाज के द्वारा सामूहिक विवाह ब परिचय स मेलन का आयोजन 7 अप्रैल 24 मोती महल लॉन बरघाट रोड ढूंढा सिवनी में किया जाएगा, साहू समाज के जिला अध्यक्ष गुलाब साहू ने बताया कि भक्त शिरोमणि मां कर्मा देवी जयंती के अवसर पर जिला मु यालय में हो रहे सामूहिक विवाह व परिचय स मेलन में भाग लेने तथा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक सं या में पहुंचने की अपील की है, यहां यह बता दे की समाज के द्वारा अपने अपने क्षेत्र में कार्यक्रम का आयोजन कर अपने-अपने प्रतिष्ठान बंद रख कर तथा वाहन रैली, शोभायात्रा, पूजन संगीतमयी आरती, भोजन प्रसादी तथा वृंदावन से आए कलाकारों के द्वारा नृत्य व गायन शानदार प्रस्तुति की जाएगी कार्यक्रम में प्रातः से ही सामाजिक बंधुओं द्वारा अपने प्रतिष्ठान बांद्रा रखकर हा आरती पूजन बारात स्वागत अतिथियों को स्वागत उद्बोधन तथा भोजन प्रसादी सहित वृंदावन से पधारे कलाकारों के द्वारा शानदार नृत्य की प्रस्तुति की जाएगी उक्त कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी ब्लॉक नगर एवं ग्रामों में बैठक का आयोजन किया जा रहा है।

कले टर की अध्यक्षता में समय सीमा बैठक स पन्न

सिवनी यशोः- कले टर श्री क्षितिज सिंघल की अध्यक्षता में सोमवार 18 मार्च को कले ट्रेट सभाकक्ष में समय सीमा बैठक आयोजित हुई। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री नवजीवन पंवार, अपर कले टर श्री सी एल चिनाप एवं सुश्री सुनीता खंडायत एवं सहित सभी अनुविभागीय अधिकारियों एवं विभाग प्रमुखों की उपस्थिति रही साथ ही विकासखण्डस्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे।

बैठक में कले टर क्षितिज सिंघल ने लोकसभा निर्वाचन 2024 की तैयारियों को लेकर नोडल अधिकारीवार सौंपे गए दायित्वों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से कहा कि जिले में लोकसभा निर्वाचन अंतर्गत प्रथम चरण में मतदान संपन्न होना है अतः सभी अधिकारी सौपे गए निर्वाचन दायित्वों को पूरी जि मेदारी से समय सीमा में पूर्ण करें। उन्होंने प्रथम चरण में होने वाले मतदान को ध्यान में रखते हुए वृहद स्तर पर मतदाता जागरूकता गतिविधियां संचालित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि सभी शासकीय अधिकारी-कर्मचारी आदर्श आचरण संहिता का पालन करना सुनिश्चित करें। उन्होंने वीडिया कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक से जुडे सभी सीएमओ, सीईओ जनपद सहित सभी निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि आचार संहिता अवधि में पूर्व से संचालित विकास कार्य सतत रूप से चलते रहें, कोई भी नया कार्य प्रारंभ न हो। कले टर श्री सिंघल ने सभी सहा.रिटर्निंग अधिकारियों से भी चर्चा कर एसएसटी/एफएसटी दल की कार्यवाही को लेकर भी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले में प्रवेश करने वाले प्रत्येक वाहनों की सघन जांच की जाए तथा संपूर्ण जांच कार्यवाही की वीडियाग्राफी सुनिश्चित हो।

कले टर श्री सिंघल ने बैठक में सी एम हेल्प लाईन, समय सीमा में दर्ज प्रकरणों के साथ-साथ जिले में खाद-बीज की उपलब्धता, उपार्जन की तैयारियों के साथ-साथ अन्य जरूरी बिंदुओं की भी समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।

नवभारत साक्षरता कार्यक्रम अंतर्गत आयोजित परीक्षा में स मिलित हुए 12044 नवसाक्षर

सिवनी यशोः- भारत सरकार के निर्देशानुसार संचालित उल्ला स नवभारत साक्षरता कार्यक्रम अंतर्गत कले टर सह जिला मिशन संचालक एवं मु य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सह जिला परियोजना संचालक के कुशल निर्देशन में दिनाक 17 मार्च 2024 को नवसाक्षरों की मूलभूत साक्षरता एवं सं याकत्मेकता मूल्या कंन परीक्षा जिले के आठ विकास डों में प्राथमिक एवं माध्यरमिक विद्यालयों में निर्धारित केन्द्रोंक पर सफलता पूर्वक संपन्नन हुई। परीक्षा हेतु जिले में 1223 परीक्षा केन्द्र बनाए गये थे। विकासखण्डों से प्राप्तन जानकारी अनुसार परीक्षा में 12044 नवसाक्षर महिला एवं पुरुष स मिलित हुए।

परीक्षा के सुचारू रूप से स प न्न कराने हेतु जिला, विकासखण्ड्, संकुल एवं जनशिक्षा केन्द्र स्तरर पर गठित मॉनिटरिंग दलों द्वारा परीक्षा केन्द्रों की सघन मॉनीटरिंग की गई। परीक्षा में महिलाओं द्वारा बढचढकर हिस्सार लिया गया। परीक्षा हेतु नवसाक्षरों को गॉव-गॉव में संपर्क करते हुए परीक्षा देने हेतु आमंत्रित किया गया। नवभारत साक्षरता परीक्षा के सफल संचालन हेतु समस्त वोलंटियर (अक्षरसाथी)` लस्टर समन्वयक, विकासखंड समन्वयक, शिक्षक, जनशिक्षा केन्द्र प्रभारी, जनशिक्षक, वीएसी एवं बीआरसीसी का महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्तर हुआ।

आंधी-तूफान ने मचाई तबाही, तेज बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि

बरघाट यशोः- सोमवार को सुबह तेज धूप के बाद शाम पांच बजे एक बार फिर से मौसम ने करवट बदल ली। शनिवार और रविवार की तरह सोमवार को शाम को तेज आंधी-तूफान ने फिर तबाही मचा दी। वहीं बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई। आंधी-तूफान के कारण शहर के मु य सड़क के पास में पेड़ गिर गए। आंधी तूफान से क्षेत्र में कई जगह बिजली के तार टूट गए। जिसके कारण शहर में बिजली आपूर्ति बाधित रही।

जानकारी के अनुसार 16 मार्च को ओलावृष्टि और आंधी तूफान के साथ कई गांव में बिजली बाधित हो गई थी। बरघाट में पदस्थ विद्युत विभाग के सहायक यंत्री लोकेंद्र वर्मा ने बताया कि बरघाट क्षेत्र मे आंधी तूफान के कारण पिछले तीन दिनों में एक सैकड़ा से अधिक खंभे गिर चुके हैं, और लगभग एक दर्जन ट्रांसफार्मर प्रभावित हुए है, एक दर्शन से अधिक गांव में बिजली आपूर्ति बाधित थी जिन्हें पिछले दो दिनों मे सुधार कार्य दो गांव छोड़कर शेष गांवो में विधुत व्यवस्था बहाल कर दी गई है । रोजाना की तरह आज शाम 5 बजे के बाद आंधी-तूफान के साथ तेज बारिश हुई। करीब 1 घंटे तक अच्छी बारिश होने से आम जनजीवन काफी प्रभावित हुआ। बारिश होने से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। शाम के वक्त बारिश होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है।

कई जगह गिरे ओले

शनिवार और रविवार की तरह सोमवार को बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है। बरघाट विकासखंड में कई जगह ओले गिरे। ओलावृष्टि होने से दैनिक दिनचर्या काफी प्रभावित हुई। हालांकि, प्रारंभिक सूचना के आधार पर किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। ओलावृष्टि का असर फसलों पर भी पड़ा है।

रमजान में ज़्यादा समय वक़्त इबादत और दुआ में लगाए मुसलमान और मुल्क में अमन व आमन की दुआ करें - मौलाना ज़बीहुरहमान नूरी

कान्हीवाड़ा यशोः- रमजान मुबारक का मुबारक महीना चल रहा है ओर रोज़ा इस्लाम के बुनियादी अरकान में से एक रुकन है अल्लाह ने कुरान में कहा है कि है ए इमान वालों तुम पर रोज़ा फर्ज किया गया हैं जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फर्ज़ किया गया था ताकि तुम मुत्तकि और अल्लाह से डरने वाले बन जाओ रमज़ान का महीना हमारे लिए तरबियत का महीना भी है

` योंकि रमजान मुबारक का महीना रहमतों बरकतों और जहन्नम से आजादी का यह महीना है इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा इस महीने में अल्लाह की इबादत में लगाना चाहिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा कुरान करीम की तिलावत, पढ़ना चाहिए, सदका करना, पड़ोसियों का याल रखना चाहिए , ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत मैं वक्त गुजारना ओर मुल्क के लिए अमन व सलामती की दुआ करना चाहिए दूसरी बात साइंस के तालुक़ से भी है कि रोज़ा रखने से इंसान बहुत सी बीमारयो से भी बच जाता हैं जैसे केंसर शुगर ओर बहुत बड़ी बड़ी बीमारी से भी बच सकता है रोज़ा रखने से इंसान की हुमानिटी सिस्टम भी अच्छा रहता है

जल-जीवन मिशन अंतर्गत कार्यों की कले टर सिंघल ने समीक्षा कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश

सिवनी यशोः- कले टर क्षितिज सिंघल ने सोमवार 18 मार्च को जल निगम एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों एवं योजना अंतर्गत निर्माण कार्य कर ही एजेंसियों के प्रतिनिधियों की बैठक लेकर जल जीवन मिशन की परियोजनावार समीक्षा की गई।

कले टर श्री सिंघल ने स्कूल एवं आंगनवाडी केन्द्रों के नलजल कने शन सुधार कार्यवाही की समीक्षा करते हुए शतप्रतिशत कने शन 31 मार्च तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने आगामी ग्रीष्म ऋतु के दौरान समस्या संभावित ग्रामों की सूची की भी अनुभागवार समीक्षा कर चिन्हांकित ग्रामों में वैकल्पिक व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी भी ग्राम में ग्रीष्म ऋतु में पेयजल संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या न आए।

कले टर श्री सिंघल ने समूह नलजल योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर बंडोल समूह नलजल योजना के कार्यों को 31 मार्च तक शतप्रतिशत रूप से पूर्ण कर संबधित ग्रामों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने संगमघाट एवं सिद्धघाट तथा पायली समूह नलजल के कार्यों की भी समीक्षा कर सभी कार्य समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिये।

लोकसभा निर्वाचन 2024 की आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने पर जनप्रतिनिधियों को आवंटित वाहन अधिग्रहित करने के निर्देश

सिवनी यशोः- कले टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री क्षितिज सिंघल ने भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार लोकसभा निर्वाचन 2024 की आचार संहिता प्रभावी हो जाने पर सभी मु यकार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायतों, सीएमओ, सचिव कृषि उपज मंडी, महाप्रबंधक जिला सहकारी बैंक को निर्देशित किया है कि उनके विभाग द्वारा जन प्रतिनिधियों को आवंटित वाहन अधिग्रहित कर नोडल अधिकारी परिवहन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

लोकसभा निर्वाचन के मद्देनजर विश्राम गृहों के अधिग्रहण के आदेश जारी

सिवनी यशोः- कले टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री क्षितिज सिंघल ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए अधिसूचना जारी किये जाने के मद्देनजर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 (क) के अंतर्गत जिले में विभिन्न विभागों के विश्राम गृहों को अधिग्रहित करने के आदेश जारी करते हुए नियंत्रणकर्ता अधिकारी नियुक्त किए हैं। इसके साथ ही नियंत्रणकर्ता अधिकारियों को विश्राम गृहों का उपयोग किसी भी प्रकार की राजनैतिक गतिविधि के लिए नहीं किए जाने को लेकर आवश्यक व्यवस्थाऐं सुनिश्चित करने के साथ-साथ बिना जिला दण्डाधिकारी की अनुमति के विश्राम गृह किसी भी व्यक्ति को आवंटित न करने के निर्देश दिए हैं।

जनजाति कार्य विभाग में उच्च पद के प्रभार में भारी खेल

सिवनी यशोः- जनजाति कार्य विभाग जबलपुर द्वारा आज 14 मार्च को प्राथमिक शिक्षक से माध्यमिक शिक्षा हेतु उच्च पद के प्रभार की सूची जारी की गई है। सूची को देखने से प्रथम दृष्टि में ही लग रहा है कि यहां पर भारी खेल हुआ है। यहां जारी वरिष्ठता सूची के अनुसार जूनियरों को उच्च पद पर प्रभार दे दिया गया है एवं मनचाही जगह दी गई है। जबकि वरिष्ठ सूची में वरिष्ठ शिक्षक- शिक्षिकाओं को उच्च पद के प्रभार से वंचित ही कर दिया गया है। अब ऐसा कैसे हुआ यह तो सहायक आयुक्त कार्यालय सिवनी या जबलपुर जनजाति कर विभाग उपायुक्त द्वारा ही बताया सकता है। उक्ताशय के आरोप राज्य कर्मचारी संघ एवं प्रांतीय शिक्षक संघ सिवनी के जिलाध्यक्ष श्रवण कुमार डहरवाल द्वारा लगाये गये हैं।

श्री डहरवाल ने बताया कि, नियम अनुसार पहले रिक्त पदों की जानकारी समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं को दी जानी चाहिए था एवं उसके बाद नियम अनुसार काउंसलिंग किया जाना था लेकिन ना ही रिक्त पदों की जानकारी दी गई और ना ही काउंसलिंग की गई, फिर भी उच्च पद पर प्रभार की सूची जारी कर दी गई है, जो कि भारी अनियमित को जन्म देती है। इन सूचियां का बारीकी से अध्ययन किया जाए तो कुछ लोगों के नाम तो दो-दो बार दे दिए गए हैं। जैसे की सूची में अंग्रेजी विषय पर क्रमांक 12 एवं 31 पर एक ही व्यक्ति के नाम को प्रदर्शित किया गया है । इस बात से स्पष्ट होता है कि निश्चित तौर पर सूची में अनियमितताएं हैं। श्री डहरवाल ने कहा कि, जनजाति कार्य विभाग सिवानी द्वारा आज दिनांक तक भी क्रमोन्नत आदेश भी जारी नहीं किए गए हैं ।

श्रवण कुमार डहरवाल द्वारा सूची में होने वाली अनियमितता पर विरोध प्रकट करते हुए कहा गया है कि इस उच्च पद पर प्रभार की सूची को निरस्त की जाए या फिर इस सूची में सुधार कर नियम अनुसार सूची जारी की जावे। यदि सूची में सुधार करके जारी नहीं की जाती है तो भविष्य में पूरी सूची के विरोध में संघ की ओर से कोर्ट में प्रकरण दर्ज किया जाएगा एवं अनियमित बरतने वाले सभी कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की जाएगी।

भाजपा की ऐतिहासिक जीत के लिये हर बूथ पर बढायें 370 वोट

बूथ विजय संकल्प अभियान को लेकर लखनवाड़ा मंडल की बैठक संपन्न

सिवनी यशोः- भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार बूथ विजय संकल्प अभियान के तहत सिवनी विधानसभा के लखनवाड़ा ग्रामीण मंडल की बैठक शनिधाम मंदिर पलारी टेकरी पर रखी गई । बैठक में भाजपा जिला उपाध्यक्ष एवं मंडल के प्रभारी संतोष अग्रवाल ने कहा कि भाजपा नेतृत्व की मंशा के अनुरूप हमें हर बूथ पर विधानसभा मिले वोटो में 370 वोटो की वृद्धि का संकल्प पूरा करना है । श्री अग्रवाल ने कहा कि भाजपा ने विकास और जनकल्याण के साथ कश्मीर से धारा 370 समाप्त कर भाजपा के संकल्प को पूर्ण किया है और एक राष्ट्र एक विधान, एक

निशान को लागू करने का ऐतिहासिक कार्य किया है । देश में पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार होने का परिणाम है कि भव्य राम मंदिर का हमारा सपना साकार हुआ है । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत का गोरव बढ़ रही है । आगामी समय में होने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा को प्रचंड जीत के दिला कर भव्य और दिव्य भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करना है ।

भाजपा सह मीडिया प्रभारी मनोज मर्दन त्रिवेदी ने प्रेस को जारी विज्ञप्ति में बताया कि बैठक में उपस्थित लोकसभा विस्तारक दीपक जी ने उपस्थित पदाधिकारियों और कार्यकर्त्ता से कहा कि हमने जो मेहनत की है उस मेहनत का परिणाम लोकसभा चुनाव में पूर्ण सफलता का दिखाई दे और नेतृत्व के निर्देश अनुसार हर बूथ पर 370 वोट बढाने का काम करना है । दीपक जी 370 वोटो को बढाते हुये बूथ पर शानदार विजय का संकल्प भी कार्यकर्त्ताओं को दिलाया । इसके साथ ही भाजपा मंडल अध्यक्ष अनिल बघेल ने पार्टी के निर्धारित कार्यक्रमों की जानकारी देते हुये निर्धारित समय सीमा में करने का आग्रह किया । आयोजित बैठक में प्रहलाद पटेल, शिव सनोड़िय किसान मोर्चा महामंत्री, अनिल बघेल अध्यक्ष, विनोद यादव महामंत्री, बेनीराम चन्दवंशी महामंत्री, दुर्गेश चक्रवर्ती युवा मोर्चा अध्यक्ष, नंदू बघेल, परसराम सनोड़िया, रवि शंकर अग्रवाल जी, श्री रवि चन्द्रवंशी, सुरेंद्र बघेल उपाध्यक्ष, कोमल सिंह बघेल, लकी शर्मा युवा उपाध्यक्ष, हितेश सूर्यवंशी मंत्री, अरविन्द जी, राजेश अवधिया, महेश सनोड़िया, चेतराम डेहरिया संतोष सनोड़िया, संदीप सनोड़िया ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष, संत कुमार बघेल, अशोक चंदवंश, मनोज चौधरी, घनश्याम सराठे, नितेश सनोड़िया, रजनीश सनोड़िया , राज पटेल, विठ्ठल पटेल, सचिन ठाकुर, दुर्गेश सनोड़िया, शरद सूर्यवंशी रामकुमार पटेल, राहुल बघेल पदम सनोड़िया उपाध्यक्ष , शारदा कश्यप अध्यक्ष, छाया लारेशवर महामंत्री, सुनिता सतनामी महामंत्री चंद्र प्रकाश बघेल की उपस्थिति पर बैठक संपन्न हुई

ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों से मिले पूर्व विधायक राकेश पाल सिंह

कहा सरकार और भाजपा आपके साथ है, नुकसानी की होगी भरपाई - राकेश पाल सिंह

केवलारी यशोः- मंगलवार 19 मार्च को पूर्व विधायक राकेश पाल सिंह ने केवलारी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम, मझगवा, देवरी, बिनेका, थावरी, बरेली, घटेरी, रावठान ,चिडी, सुकवाह, सुनवारा, खेड़ा, ख़िरख़िरी, अमोली, अमानाला, तिघरा, रेपुरा, दोन्दावानी, नोनिया, बोरया, चारगांवा, हरदुली का दौरा कर ओलावृष्टि से हुई फसल नुकसानी का जायजा लिया । बतादें कि यहाँ गत 18 मार्च को जमकर अतिवृष्टि एंव ओलावृष्टि हुई थी । आलोवृष्टि से क्षतिग्रस्त पीड़ित किसान भाइयों से पूर्व विधायक राकेश पाल सिंह ने मुलाकात कर उनकी पीडा सुन उन्हें भरोसा दिलाया कि सरकार आपके साथ है निराश होने की आवश्यकता नहीं है । किसानों के खेतो में पहुँचकर उनकी फसलों का जायजा लिया। केवलारी विधायक राकेश पाल सिंह ने दूरभाष के माध्यम से राजस्व विभाग के तहसीलदार एंव अधिकारीयो से बात कर जल्द ही किसान भाइयों की फसलों का सर्वे उचित मुआवजा दिये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करने की बात कही । श्री पाल ने कहा कि किसी भी किसान भाई के साथ किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने दूँगा। भारतीय जनता पार्टी के मु यमंत्री और पूरी सरकार किसानों के साथ है इस आपदा के समय पूरी राहत दी जायेगी । किसान भाई अपने खेतों में खून पसीना बहाते हैं, तब फसल पैदा होती है । इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा आना किसान भाइयों के लिए बहुत मुश्किल एंव कठिन समय हैं। मैं अपने किसान भाइयों के साथ खड़ा हूँ। हमारे मु यमंत्री डॉ मोहन यादव जी किसान भाइयों के साथ हैं। पूर्व विधायक राकेश पाल सिंह के साथ इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष नवल श्रीवास्तव, जसवंत बघेल, संतकुमार राय, रामरंजन बघेल, अशोक चंद्रवंशी, मंडल अध्यक्ष धनोरा सुजीत मिश्रा, हरिश्चंद्र चंद्रवंशी, रविंद्र तिवारी, जय मिश्रा, नीलेश जैन, मंडल अध्यक्ष छपारा पंकज जोलदेव, स्वर्णिम साहू, मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा धनोरा विनय राय मोनू, प्रह्लाद राय, सुजीत राय, सतीश राय, कैलाश राय, रामगोपाल राय, सुजान बघेल एवं ग्रामीण जनों, किसान भाइयों की उपस्थिति रहीं।

गेहूं खरीदी केंद्र खोलने के मिले आदेश

क्षेत्र के किसानों ने विधायक का किया आभार व्यक्त

छपारा यशोः- सिवनी विधानसभा क्षेत्र के जनपद पंचायत छपारा अंतर्गत चमारी खुर्द में गेहूं खरीदी केंद्र खोलने को लेकर गत दिनों क्षेत्र के किसानों ने जिला कले टर सहित सिवनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक दिनेश राय मुनमुन से मिले थे और एक ज्ञापन सौपा था।

किसानों की उक्त समस्या को देखते हुए सिवनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक दिनेश राय मुनमुन द्वारा सभी किसानों को आश्वासन दिया गया था कि चमारी खुर्द में गेहूं खरीदी केंद् अवश्य खुलेगा, इस विषय में प्रयास करते हुए गेहूं खरीदी केंद्र खोलने के लिए विधायक द्वारा आदेश करवा दिया गया जिससे चमारी क्षेत्र में गेहूं खरीदी केंद्र खुलने के रास्ते साफ़ हो गए।

इस खबर को सुनते ही क्षेत्र के सभी किसानों में हर्ष व्याप्त है उन्होंने सिवनी जिले के लोकप्रिय विधायक दिनेश राय मुनमुन के इस प्रयास पर आभार व्यक्त किया है । आभार व्यक्त करने वाले किसानों में किसान संघ जिला अध्यक्ष जिला सचिव सहित किसान संघ के अनेकों पदाधिकारी सहित चमारी क्षेत्र से ठाकुर जसवंत सिंह सुनील पाराशर ठाकुर राजेश सिंह चंद्र कुमार धीर सिंह भलावी आदि बड़ी सं या में किसानों ने आभार व्यक्त किया।

तीव्रता से किया जाये फसल नुकसानी का सर्वे - कले टर

वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कले टर सिंघल ने राजस्व अधिकारियों को दिये आवश्यक दिशा निर्देश

सिवनी यशोः- कले टर क्षितिज सिंघल ने मंगलवार 19 मार्च 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विगत दिवसों में जिले के विभिन्न क्षेत्र में हुई ओलावृष्टि तथा असमायिक वर्षा के कारण हुई फसल नुकसानी की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश सभी राजस्व अधिकारियों को दिए। उन्होंने विकासखंडवार संबंधित एसडीएम से चर्चा करते हुए फसल नुकसान की प्रारंभिक जानकारी प्राप्त की तथा सभी अधिकारियों को राजस्व, कृषि तथा ग्रामीण विकास विभाग सहित अन्य स बन्धित विभागों के मैदानी अमले का दल बनाकर तत्काल सर्वे पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने फसल नुकसानी की ग्रामवार वास्तविक शुध्द जानकारी समाहित कर प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।

बैठक में कले टर श्री क्षितिज सिंघल ने लोकसभा निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए रिटर्निंग अधिकारी स्तर में लंबित निर्वाचन नामावली में नाम जुड़ने, हटाने एवं सुधार कार्यों की समीक्षा करने के साथ ही प्रकरणों के त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने मतदान केंद्रों में सभी जरूरी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने क्रिटीकल एवं वनरेबल मतदान केंद्रों को लेकर भी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

निर्वाचन कार्यों के लिए प्रशासनिक एवं पुलिस से टर अधिकारियों में बेहतर समन्वय जरूरी - जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सिडाना

से टर अधिकारियों की बैठक संपन्न

मंडला यशोः- कले टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सलोनी सिडाना ने सोमवार को लोकसभा निर्वाचन के तहत बिछिया, निवास तथा मंडला तीनों विधानसभा क्षेत्र के लिए नियुक्त प्रशासन एवं पुलिस के से टर अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने निर्देशित किया कि प्रशासन एवं पुलिस के से टर अधिकारी गंभीरता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए संपूर्ण निर्वाचन गतिविधियों को तय समय-सीमा में पूरी करेंगे। जिला योजना भवन में संपन्न हुई इस बैठक में पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा, सीईओ जिला पंचायत श्रेयांश कूमट, अपर कले टर एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी राजेन्द्र कुमार सिंह, संयुक्त कले टर अरविंद सिंह, सहायक कले टर रवि कुमार सिहाग सहित संबंधित उपस्थित रहे।

कले टर ने कहा कि निर्वाचन अवधि के दौरान प्रशासन एवं पुलिस के से टर अधिकारी बेहतर समन्वय से कार्य करें। दोनों अधिकारी संयुक्त रूप से भ्रमण करते हुए वल्नरेब्लीटी मैपिंग, रूट वेरीफिकेशन, बूथ की संवेदनशीलता का आंकलन करें तथा समय पर चाही गई जानकारी उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि से टर अधिकारी अपने क्षेत्र के सभी मतदान केन्द्रों में 2 दरवाजे, रै प, व्हीलचेयर, बिजली, पेयजल, शौचालय, फर्नीचर सहित अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराएं। डॉ. सिडाना ने निर्देशित किया कि से टर अधिकारियों से प्राप्त फीडबैक को गंभीरता से लेते हुए समुचित कार्यवाही करें। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा ने निर्देशित किया कि सभी से टर अधिकारी संबंधित थाना, चौकी के सतत संपर्क में रहें तथा किसी प्रकार की महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होने पर तत्काल अवगत कराएं।

गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं ने रचाई लोकतंत्र की मेंहदी

मंडला यशोः- लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के अंतर्गत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न स्तर पर गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी कड़ी में सोमवार को शासकीय जेएमसी महिला महाविद्यालय में मतदाता जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। महाविद्यालय में उपस्थित छात्राओं ने आगामी 19 अप्रैल 2024 को लोकसभा निर्वाचन पर्व के उपलक्ष्य में लोकतंत्र की मेंहदी रचाकर जागरूकता संदेश दिया। साथ ही मेंहदी से मतदाता जागरुकता संबंधी नारे रचाकर शत-प्रतिशत मतदान के पक्ष में अलख जगाई। कार्यक्रम के दौरान प्राध्यापकों ने लोकतंत्र की सफलता में शत-प्रतिशत मतदान के योगदान की चर्चा की तथा इसकी आवश्यकता पर बल दिया।

अवकाश पर प्रस्थान करने अथवा मु यालय छोड़ने पर प्रतिबंध

कले टर ने जारी किया आदेश

मंडला यशोः- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन-2024 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है, जिसके फलस्वरूप स पूर्ण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को सुचारू रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से कले टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सलोनी सिडाना द्वारा जिले में पदस्थ अधिकारियों, कर्मचारियों को 16 मार्च 2024 से अवकाश पर प्रस्थान करने अथवा मु यालय छोड़ने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी मण्डला की अनुमति के बिना किसी भी अधिकारी, कर्मचारी को अवकाश स्वीकृत नही किया जावेगा तथा मु यालय छोड़ने की अनुमति भी नहीं दी जावेगी।

जारी आदेश के अनुसार यदि किसी शासकीय सेवक को पूर्व से ही 16 मार्च 2024 के बाद की अवधि का अवकाश स्वीकृत किया गया हो तो संबंधित सक्षम अधिकारी उसका परीक्षण कर स्वास्थ्य एवं अति विशिष्ट कारणों को छोड़कर, स्वीकृत किये गये अन्य सभी प्रकार के अवकाश 16 मार्च 2024 से निरस्त कर अवकाश पर गये शासकीय कार्मिकों को कर्तव्य पर वापस बुलाना सुनिश्चित करेंगे। प्रतिबंध अवधि के दौरान विशेष एवं आकस्मिक परिस्थितियों से अवकाश स्वीकृति की प्रक्रिया में सभी प्रकार के अवकाश आवेदन पत्र संबंधित कार्यालय प्रमुख के माध्यम से आवश्यक अभिलेखों सहित स्वीकृति हेतु नोटशीट पर अपर कले टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी मण्डला को प्रस्तुत किये जावेंगे। अवकाश चाहने वाले अधिकारी, कर्मचारी की यदि लोकसभा निर्वाचन में किसी प्रकार की ड्यूटी लगी हो तो उसका उल्लेख अनिवार्य रूप से करना होगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी अवकाश की स्वीकृति, अस्वीकृति के संबंध में निर्णय लेंगे। स्वास्थ्य कारणों से अवकाश हेतु प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों के संबंध में जिला मेडिकल बोर्ड से परीक्षण उपरांत मेडिकल बोर्ड के अभिमत अनुसार आवेदन पत्रों का निराकरण किया जावेगा। निर्वाचन कार्यालय में आवेदन पत्र सीधे प्रस्तुत नहीं किये जायेंगे। संबंधित कार्यालय प्रमुख, नोटशीट पर अवकाश आवेदन पत्र मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट सहित उप जिला निर्वाचन अधिकारी मण्डला को भेजेंगे। लोकसभा निर्वाचन 2024 स पन्न होने तक की अवधि के लिए सिविल सर्जन-सह-मु य अस्पताल अधीक्षक मण्डला उक्त हेतु जिला चिकित्सालय मडला में तत्काल मेडिकल बोर्ड का गठन करेंगे जो उपस्थित होने वाले शासकीय सेवकों के स्वास्थ्य का परीक्षण कर उनके अवकाश आवेदन के संबंध में अपनी स्पष्ट राय अंकित करेंगे। तत्पश्चात संबंधित कार्यालय प्रमुख नस्ती पर अवकाश आवेदन पत्र, मेडिकल बोर्ड के अभिमत सहित उप जिला निर्वाचन अधिकारी मण्डला को अग्रेषित करेंगे।

स्वीप गतिविधियों के माध्यम से हर मतदाता तक पहुँचें - कूमट

बैठक में सीईओ जिला पंचायत के निर्देश

मंडला यशोः- लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित की जाने वाली स्वीप गतिविधियों के संबंध में आयोजित बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्रेयांश कूमट ने कहा कि मतदाता जागरूकता अभियान को जन अभियान बनाएं। प्रत्येक गांव, मोहल्ला तक पहुंच करते हुए प्रत्येक मतदाता को आगामी 19 अप्रैल को नैतिक मतदान करने के लिए प्रेरित करें। श्री कूमट ने कहा कि जिन क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत कम रहा है वहां पर फोकस करते हुए गतिविधियों की योजना तैयार करें। मतदान केन्द्र स्तर पर गठित बूथ जागरूकता समूह को सक्रिय करें। मतदाता जागरूकता संबंधी गतिविधियों में समुदाय की भागीदारी बढ़ाने का प्रयास करें। सीईओ जिला पंचायत ने कहा कि ग्राम स्तर पर आयोजित होने वाले मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों के लिए शिक्षक, पटवारी, रोजगार सहायक, पंचायत सचिव, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता सहित अन्य मैदानी अमले का सहयोग प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि सभी शासकीय कार्यालयों से जारी होने वाले पत्रों में स्वीप का लोगो लगाएं तथा मतदाता जागरूकता संबंधी कोटेशन भी अंकित करें। बैठक में उपसंचालक कृषि मधु अली, सहायक संचालक महिला बाल विकास रोहित बड़कुल, सहायक संचालक जनसंपर्क अनादि वर्मा, परियोजना अधिकारी ग्रामीण आजीविका मिशन बीडी भैसारे, मु य नगरपालिका अधिकारी गजानंद नाफड़े, सीईओ मवई कपिल तिवारी, विकासखंड प्रबंधक ग्रामीण आजीविका योगेन्द्र तिवारी सहित संबंधित उपस्थित रहे।

हमें भव्य भारत के निर्माण के लिये जीत हासिल करना है - हितानंद

मण्डला सहित प्रदेश की 29 सीटों में भाजपा विजय का लक्ष्य पूरा करेगी

कार्यकर्ता हर बूथ में 370 नये मतदाताओं को जोड़ने के अभियान में जुटें

चुनाव प्रबंधन जनप्रतिनिधियों एवं संगठन पदाधिकारियों की बैठक संपन्न

मण्डला यशोः- प्रधानंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रत्येक बूथ में 370 वोट बढ़ाने का संकल्प कार्यकर्ताओं को दिलाया है। कार्यकर्ता प्रतिदिन बूथ विजय अभियान के तहत मतदान केंद्र में संपर्क कर लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नये मतदाताओं को जोड़कर मध्यप्रदेश में सभी 29 सीटों पर जीत के लक्ष्य को पूरा करने में मण्डला लोकसभा के कार्यकर्ता पदाधिकारी जनप्रतिनिधि, चुनाव प्रबंध समिति, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का संकल्प को पूरा करने में अपनी अहम भूमिका निभायेंगे। उक्त आशय के उदगार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में आयोजित मण्डला लोकसभा क्षेत्र की चुनाव प्रबंधन जनप्रतिनिधि एवं संगठन पदाधिकारियों की बैठक में कही। श्री शर्मा ने कहा कि 370 लोकसभा सीट में जीत के संकल्प के पीछे डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान का इतिहास जुड़ा है उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का लंबे संघर्ष का परिणाम है कि देश में सबसे ज्यादा जनपद, जिला पंचायत,सरंपच, नगरपालिका, महापौर, विधायक, सांसद एवं विभिन्न राज्यो में भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्यसभा एवं लोकसभा में बहुमत होने के कारण धारा 370 समाप्त की सेना को अधिकार के साथ-साथ भव्य राममंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। अब भव्य भारत बनाने का संकल्प लेकर हम इस चुनाव में उतरेंगे और देश को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाने का कार्य हमें करना है। प्रदेश संगठन महामंत्री श्री शर्मा ने कहा कि चुनाव में संपर्क के दौरान हमें 2014 के पहले देश की हालत के विषय में तथा मोदी सरकार के 10 वर्ष के सुशासन, विकास और गरीब कल्याण के तुलनात्मक विषयों पर चर्चा करने की आवश्यकता जताई।

लोकसभा क्षेत्र में 18 लाख लाभार्थियों है जिन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा हे - कुलस्ते

इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री राज्यसभा सांसद सुश्री कविता पाटीदार ने कहा कि बूथ विजय संकल्प यात्रा को हर स्थिति में पूरा करें। मण्डला लोकसभा क्षेत्र सहित मध्यप्रदेश की विजय यात्रा में सहभागी बनें तथा मोदी जी के नेतृत्व में विजयश्री का तिलक लगाकर मण्डला लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी फग्गनसिंह कुलस्ते को विजयी बनायें उन्होंने कहा कि यह देश का चुनाव है इसलिए विपक्ष की हर स्थिति का आकलन करके गंभीरता के साथ चुनाव लड़ना है। केंद्रीय राज्यमंत्री एवं लोकसभा प्रत्याशी ने कहा कि मण्डला लोकसभा क्षेत्र में 18 लाख ऐसे लाभार्थी हैं जिन्हें व्यक्तिगत तौर पर सरकार की योजना का लाभ मिल रहा है इसलिए लाभार्थी संपर्क अभियान इस चुनाव का महत्वपूर्ण हिस्सा है उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनजाति समाज के कल्याण और विकास के लिए कार्य किया है साथ ही समाज की मान्यता, आस्था, विरासत, संस्कृति को ध्यान में रखते हुए योजना बनाकर कार्य किया है। लोकसभा क्षेत्र में हाईवे, रेलवे का विस्तार, मेडिकल कॉलेज सिंचाई के संसाधन शिक्षा की बेहतर व्यवस्था लोकसभा क्षेत्र में 95 प्रतिशत गांव में पक्की सड़के,स्कूल, कॉलेज, आईटीआई के साथ-साथ स्वास्थ्य केंद्रों को बेहतर सुविधायुक्त बनाया है।

प्रदेश की केबिनेट मंत्री श्रीमति संपतिया उइके ने कहा कि लोकसभा चुनाव में जीत की नैतिक जि मेदारी हम सभी कार्यकर्ताओं की है इसलिए मण्डला लोकसभा क्षेत्र से भाजपा की जीत याने मोदी जी की जीत के भाव के साथ काम करके हमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का स मान करना है।

बैठक में स्वागत उदबोधन भाजपा जिलाध्यक्ष भीष्म द्विवेदी ने दिया कार्यक्रम का संचालन महामंत्री भगवती श्रीधर के द्वारा किया गया इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष संजय कुशराम, लोकसभा संयोजक प्रफुल्ल मिश्रा, डिंडोरी जिला पंचायत अध्यक्ष रूद्रेश परस्ते, लोकसभा विस्तारक श्रवण पटेल, पूर्व विधायक देव सिंह सैयाम, डॉ शिवराज शाह, रामप्यारे कुलस्ते, पंडित सिंह धुर्वे, जिला महामंत्री उमेश ठाकुर सहित लोकसभा चुनाव प्रबंध समिति के प्रभारी, जिला, मंडल, मोर्चा, प्रकोष्ठ पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

असामान्य लेनदेन की जानकारी तुरंत दें - डॉ. सिडाना

लोकसभा निर्वाचन के संबंध में बैंक अधिकारियों की बैठक संपन्न

मंडला यशोः- लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के अंतर्गत कले टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सलोनी सिडाना ने बैंक अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि निर्वाचन की शुचिता को बनाए रखने में बैंकर्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

निर्वाचन के लिए प्रत्येक अ यर्थी का पृथक से खाता खोला जाता है, अ यर्थियों द्वारा संपर्क किए जाने पर उनका खाता प्राथमिकता से खोलें, उन्हें पासबुक एवं चैकबुक समय पर जारी करें। असामान्य लेनदेन की जानकारी तत्काल सक्षम अधिकारी को दें। कले टर ने कहा कि विधिवत अनुमति प्राप्त कर ही कैशवेन को क्षेत्र में निकलने दें। अनुमति कैशवेन के साथ रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन कार्य में बैंक अधिकारियों की ड्यूटी माईक्रो ऑब्जर्वर के रूप में लगाई जाती है। सभी अधिकारी अपने दायित्वों का बेहतर निर्वहन करें। कले ट्रेट के गोलमेज सभाकक्ष में संपन्न हुई इस बैठक में अपर कले टर एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी राजेन्द्र कुमार सिंह, एलडीएम सुजय कुमार सहित संबंधित उपस्थित रहे।

जिले में 19 अप्रैल को मतदान, 4 जून को मतगणना

लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के तहत् आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील

मंडला यशोः- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शनिवार को लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के लिये निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। निर्वाचन की घोषणा होते ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। कले टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सलोनी सिडाना ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर निर्वाचन कार्यक्रम और जिले में की गई चुनाव की तैयारियों के संबंध में जानकारी दी। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा, संयुक्त कले टर अरविंद सिंह तथा पत्रकारगण उपस्थित रहे।

कले टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सिडाना ने बताया कि जिले में 20 मार्च 2024 से नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। नामांकन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 27 मार्च 2024 नियत है। नामांकन पत्रों की संवीक्षा 28 मार्च 2024 को होगी। कले टर ने बताया कि नाम वापसी की अंतिम तिथि 30 मार्च 2024 है। जिले में मतदान 19 अप्रैल को होगा तथा मतगणना 4 जून 2024 होगी। आदर्श आचरण संहिता 6 जून 2024 को समाप्त होगी। जिले में निर्वाचन व्यय निगरानी हेतु दल गठित किया जा चुका है। आग्नेयास्त्र के दुरूपयोग रोकने हेतु आदेश प्रभावी कर दिये गए हैं। संहिता की धारा 144 लागू के आदेश प्रभावी कर दिये गए। कोलाहल नियंत्रण के आदेश प्रभावी एवं संपत्ति विरूपण के आदेश भी प्रभावी हो चुके है।

लोकसभा क्षेत्र में कुल 2614 मतदान केन्द्र

कले टर डॉ. सलोनी सिडाना ने बताया कि मंडला लोकसभा क्षेत्र में मतदान केन्द्रों की कुल सं या 2614 है। विधानसभा शहपुरा में 336, डिंडौरी में 319, बिछिया में 304, निवास में 321, मंडला में 320, केवलारी में 353, लखनादौन में 407 तथा गोटेगांव में 254 मतदान केन्द्र नियत किए गए हैं।

वर्तमान में लोकसभा क्षेत्र में 2097051 मतदाता

कले टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन 8 फरवरी 2024 की स्थिति के अनुसार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मंडला में कुल 2097051 मतदाता हैं जिनमें 1048096 पुरूष, 1048930 महिला एवं 25 अन्य मतदाता स मिलित हैं। लोकसभा क्षेत्र का जेंडर रेशो 1000.79 है। विधानसभा शहपुरा में कुल 270309 मतदाता हैं जिनमें 134884 पुरूष, 135424 महिला एवं 1 अन्य मतदाता स मिलित हैं। विधानसभा डिंडौरी में कुल 249455 मतदाता हैं जिनमें 123932 पुरूष, 125513 महिला एवं 10 अन्य मतदाता स मिलित हैं। विधानसभा बिछिया में कुल 262467 मतदाता हैं जिनमें 129233 पुरूष, 133233 महिला एवं 1 अन्य मतदाता स मिलित हैं। विधानसभा निवास में कुल 268024 मतदाता हैं जिनमें 131755 पुरूष, 136268 महिला एवं 1 अन्य मतदाता स मिलित हैं। विधानसभा मंडला में कुल 270878 मतदाता हैं जिनमें 133929 पुरूष, 136947 महिला एवं 2 अन्य मतदाता स मिलित हैं। विधानसभा केवलारी में कुल 261478 मतदाता हैं जिनमें 131961 पुरूष, 129514 महिला एवं 3 अन्य मतदाता स मिलित हैं। विधानसभा लखनादौन में कुल 297253 मतदाता हैं जिनमें 150987 पुरूष, 146263 महिला एवं 3 अन्य मतदाता स मिलित हैं। इसी प्रकार विधानसभा गोटेगांव में कुल 217187 मतदाता हैं जिनमें 111415 पुरूष, 105768 महिला एवं 4 अन्य मतदाता स मिलित हैं।

26859 पीडब्ल्यूडी तथा 1441 सर्विस वोटर मतदाता

कले टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन तिथि को लोकसभा क्षेत्र में कुल 26859 दिव्यांग तथा 1441 सर्विस वोटर हैं। उन्होंने बताया कि विधानसभा शहपुरा में 5013 पीडब्ल्यूडी एवं 90 सर्विस वोटर हैं। विधानसभा डिंडौरी में 3255 पीडब्ल्यूडी एवं 82 सर्विस वोटर हैं। बिछिया विधानसभा में 3754 दिव्यांग एवं 206 सर्विस वोटर हैं। निवास विधानसभा में 3888 दिव्यांग एवं 411 सर्विस वोटर हैं। मंडला विधानसभा में 3456 दिव्यांग एवं 265 सर्विस वोटर हैं। केवलारी विधानसभा में 3174 दिव्यांग एवं 164 सर्विस वोटर हैं। लखनादौन विधानसभा में 2877 दिव्यांग एवं 121 सर्विस वोटर हैं। इसी प्रकार गोटेगांव विधानसभा में 1442 दिव्यांग एवं 102 सर्विस वोटर हैं।

85 वर्ष से अधिक आयु के 8617 मतदाता

मंडला संसदीय क्षेत्र में 85 वर्ष से अधिक आयु के कुल 8617 बुजुर्ग मतदाता हैं। जिनमें विधानसभा शहपुरा के 1246, डिंडौरी के 734, बिछिया के 969, निवास के 776, मंडला के 817, केवलारी के 1194, लखनादौन के 946 तथा गोटेगांव के 1935 मतदाता शामिल हैं।

18-19 आयु वर्ग के 67677 मतदाता

कले टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मंडला संसदीय क्षेत्र में 18-19 आयु वर्ष से अधिक आयु के कुल 67677 मतदाता हैं। जिनमें विधानसभा शहपुरा के 8261, डिंडौरी के 7208, बिछिया के 8968, निवास के 9156, मंडला के 8992, केवलारी के 9311, लखनादौन के 10541 तथा गोटेगांव के 5240 मतदाता शामिल हैं।

स्वत्वाधिकारी प्रकाशक मुद्रक राजेश अग्रवाल द्वारा,नवीन प्रिंटर्स बींझावाड़ा रोड अकबर वार्ड सिवनी से मुद्रित एवं काली चौक टैगौर वार्ड सिवनी से प्रकाशित संपादक-मनोज मर्दन त्रिवेदी
ईमेल-yasonati@gmail.com न्यायालीन क्षेत्र अधिकार सिवनी , 9425843297